संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012

23 JAN 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के कार्मिक श्री कैलाश चंद्र जोशी, आसिस्टेंट बाइंडर से संबन्धित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 12-12-2007 का पारित आदेश, जो रिट याचिका संख्या 58/2006 - शेर सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य से लिंक किया गया है - का निपटान ।

महोदय,

मुझे ऊपर्युक्त विषय में यह केहने का निदेश हुआ है की माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने दिनांक 12-12-2007 के आदेश में निम्नलिखित आदेश पारित किया था :-

"Keeping in view the circular dated 12-11-2007, the instant appeal is disposed of directing the Committee concerned to decided the appellant's representation in accordance with law by passing a speaking and reasoned order expeditiously and preferably within a period of 3 weeks from the date of receipt of a certified copy of this order and communicate the decision to the appellant within next one month and during this period the appellant shall be allowed to discharge his duties in the State of U.P. on the posts on which he has been promoted and will be paid his salary."

2. अतः श्री कैलाश चंद्र जोशी, आसिस्टेंट बाइंडर के प्रत्यावेदन पर दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बेठक में परामर्शी समिति द्वारा विचार किया गया । समिति को बताया गया कि श्री कैलाश चंद्र जोशी को प्रशासकीय विभाग द्वारा दिनांक 20 जून 2011 को राज्य चिकित्सा परिषद के सम्मुख उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था । परंतु उनके द्वारा आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जबकि इनके द्वारा नियमित रूप अपनी ड्यूटी की जा रही है । यह देखते हुए कि श्री जोशी द्वारा जनवूझ कर राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने से बचा जा रहा है, समिति द्वारा उनके प्रत्यावेदन अस्वीकार किए जाने की संस्तुति की गई ।

-2/-

3. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री कैलाश चंद्र जोशी, आसिस्टेंट बाइंडर का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए बना रहेगा । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
23 JAN 2012
जारी किया/ISSUED
रु०